भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 15000

FIFTEEN THOUSAND RUPEES

पन्द्रह हज़ार रुपये

Rs. 15000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 9 JUN 2011

नमूना सेल डीड

(1)

विक्रय पत्र।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण।

1. भूमि का प्रकार -(कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य)-आवासीय भूखण्ड।
2. वार्ड परगना- मेरठ
3. मोहल्ला/ग्राम- "कृष्णा वर्ल्ड" राजस्व ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना,तहसील व जिला मेरठ।
4. सम्पत्ति का विवरण(सम्पत्ति नं0)- भूखण्ड सं0 बी-91, मध्ये खसरा नं0 293
5. मापन की ईकाई(हैक्टेयर/वर्गमीटर)- वर्गमीटर में।
6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 106.83 वर्गमीटर।
7. सडक की स्थिति(परिशिष्ट के अनुसार)- सामान्य।
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कार्नर इत्यादि)- 7.50 मीटर रोड व पार्क फेसिंग।
9. सम्पत्ति का प्रकार- आवासीय भूखण्ड।
10. प्रतिफल की धनराशि व मालियत- 6,47,000/-रूपये।
11. दर सूचि के अनुसार सर्किल रेट- 5500/-रूपये प्रति वर्गमीटर।

प्रथम पक्ष विक्रेता का विवरण:-

1. नाम. प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 (ए कम्पनी इन्कारपोरेटिड अण्डर कम्पनीज एक्ट 1956) पंजीकृत कार्यालय 145, बी.सी. लाईन्स, मेरठ कैन्ट द्वारा डायरेक्टर एवं अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजयपाल यादव पुत्र श्री राम चन्द्र यादव निवासी 145, बी.सी. लाईन्स मेरठ कैन्ट अधिकृत द्वारा कम्पनी रेजूलेशन दिनांकित 10-02-2010ई0। व्यवसाय व्यापार।
(PAN No. AAACP8262G & M. No. 9837500547)

द्वितीय पक्ष क्रेता का विवरण:-

1. नाम- श्री विकास चौधरी पुत्र श्री आसकरन राना निवासी 82, जवाहर नगर, बनत, शामली। व्यवसाय अन्य। (आधार नं0-8963 3 23 21103 मो0 नं0 9917025558)

PRASANDI BUILDERS PVT. LTD.

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 631768

(2)

विक्रय पत्र।

1. स्टाम्प शुल्क मय आवास शुल्क 45,300/-रूपये (पैंतालीस हजार तीन सौ रूपये)।

2. बैनामा–विक्रय मूल्य व बाजारी मूल्य 6,47,000/-रूपये (छः लाख सैंतालीस हजार रूपये)।

3. जो कि एक अदद आवासीय भूखण्ड सं0 बी-91 क्षेत्रफल 127.77 वर्गगज यानि 106.83 वर्गमीटर, मध्ये खसरा नं0 293, स्थित "कृष्णा वर्ल्ड" राजस्व ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ।

4. विक्रीत भूखण्ड आवासीय है एवं आवासीय हेतू ही क्रय किया जा रहा है।

5. विक्रीत भूखण्ड का सर्किल रेट नौ मीटर से कम चौड़े मार्ग की दर 5500/-रूपये प्रतिवर्गमीटर निर्धारित है। चूँकि विक्रीत भूखण्ड पार्क फेसिंग होने के कारण निर्धारित सर्किल रेट में 10% की वृद्धि करके दर 6050/-रूपये प्रति वर्गमीटर होती है।

6. विक्रीत भूखण्ड पर कोई निर्माण नही है।

7. विक्रीत भूखण्ड किसी भी मुख्य मार्ग अथवा व्यवसायिक स्थल पर नही है।

8. यह विक्रय पत्र भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 27-ए के अनुसार लिखित है कुछ भी छिपाया नही गया है।

विक्रय पत्र ओर से प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 (ए कम्पनी इनकारपोरेटिड अण्डर कम्पनीज एक्ट 1956) पंजीकृत कार्यालय 145, बी.सी. लाईन्स, मेरठ कैन्ट द्वारा डायरेक्टर एवं अधिकृत हस्ताक्षरी श्री विजयपाल यादव पुत्र श्री राम चन्द्र यादव निवासी 145, बी.सी. लाईन्स मेरठ कैन्ट अधिकृत द्वारा कम्पनी रेजूलेशन दिनांकित 10-02-2016ई0..प्रथम पक्ष/विक्रेता।

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 651769

व श्री विकास चौधरी पुत्र श्री आसकरन राना निवासी 82, जवाहर नगर, बनत, शामली..द्वितीय पक्ष/क्रेता।

जो कि विक्रीत भूखण्ड के प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी मालिक व विक्रय अधिकारी है, तथा खसरा नं0 293 स्थित ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना, तहसील व जिला मेरठ व खसरा नं0 161, 165 व 166 स्थित ग्राम लखवाया रसूलपुर परगना तहसील व जिला मेरठ की भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता ने विभिन्न विक्रय पत्रों द्वारा क्रय करने के पश्चात् प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी उपरोक्त ने उक्त सम्पूर्ण भूमि का आवासीय तलपट मानचित्र मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से स्वीकृत कराकर तत्पश्चात् प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी उपरोक्त ने अपनी लागत से उक्त सम्पूर्ण भूमि में "कृष्णा वर्ल्ड" के नाम से एक आवासीय कॉलोनी विकसित की जिसमें प्रथम पक्ष विक्रेता कम्पनी उपरोक्त द्वारा सड़के, पार्क आदि बनाये गये है जिसमें से उक्त भूखण्ड सं0 बी-91 मध्ये खसरा नं0 293, स्थित ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ में से विक्रीत है तथा उपरोक्तानुसार प्रथम पक्ष कम्पनी उपरोक्त विक्रेता उक्त भूखण्ड के व्यक्तिगत स्वामी व विक्रयाधिकारी है और प्रथम पक्ष की ओर से उक्त भूखण्ड आज की तारीख तक प्रत्येक प्रकार के ऋण, भार, आदि से मुक्त व रहित है, कोई वैधानिक दोष प्रथम पक्ष के विक्रयाधिकारों में बाधक नही है तथा निम्न क्रेता द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड को अकंन 6,47,000/-रूपये (छः लाख सैंतालीस हजार रूपये) विक्रय मूल्य में विक्रेता प्रथम पक्ष से निम्न शर्तो के आधार पर क्रय करने को तत्पर व तैयार है, मूल्य अति उचित मिल रहा है जो इस वक्त के बाजारी मूल्य के बराबर है, विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष विक्रेता का अपना पूरा-पूरा लाभ है। अतः विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपने उक्त भूखण्ड को अपने समस्त अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य

... PRASAD... BUILDERS P...

D...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

BP

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आदि सहित स्वयं इच्छानुसार स्थिर वृद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में अकंन 6,47,000/-रूपये (छः लाख सैंतालीस हजार रूपये) कि जिसके आधे अकंन 3,23,500/-रूपये (तीन लाख तेईस हजार पाँच सौ रूपये) होते है विक्रय मूल्य के उपलक्ष में श्री विकास चौधरी पुत्र श्री आसकरन राना निवासी 82, जवाहर नगर, बनत, शामली द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्राप्त करके उक्त विक्रीत भूखण्ड को अपने स्वामित्व व अधिकार व आधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के पूर्ण स्वामित्व व अधिकार व आधिपत्य आदि में देकर क्रेता को विक्रीत भूखण्ड का पूर्ण स्वामी व अधिपति व विक्रयाधिकारी अपनी भाँति अपने स्थान पर बना दिया है तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो पर उक्त भूखण्ड क्रेता द्वितीय पक्ष को विक्रय किया है विक्रेता व क्रेता दोनों पक्ष व उनके उत्तराधिकारीगण व स्थानापन्न व लाभार्थी व प्रतिनिधि इस विलेख की निम्न शर्तो व नियमों का पालन करेगें:-

1. यहकि उक्त विक्रीत भूखण्ड सं० बी-91 रकबई 106.83 वर्गमीटर, मध्ये खसरा नं0 393, स्थित "कृष्णा वर्ल्ड" राजस्व ग्राम मुरलीपुर. गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने मौके पर कतई खाली पर द्वितीय पक्ष का कब्जा करा दिया है तथा क्रेता द्वितीय पक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के नियमों के अनुसार एम0डी0ए0 का विकास शुल्क आदि अदा करके अपने भवन का मानचित्र स्वीकृत करा लेगें और स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही क्रेता द्वितीय पक्ष निर्माण व एलीवेशन निर्मित करेगे तथा भवन का निर्माण आगे से पाँच फिट या उससे अधिक जैसा भी एम0डी0ए0 का नियम होगा उसके अनुसार सैटबेक छोड़कर निर्माण कर सकेंगे तथा भवन निर्माण से सम्बन्धित एम0डी0ए0 के समस्त दायित्व व जिम्मेदारी क्रेता द्वितीय पक्ष की ही होगी, प्रथम पक्ष उसके लिये उत्तरादायी ना होगें।

PRASAND BUILDERS

vikas ch.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

6 JUL 20

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP

2. यहकि क्रेता को बिजली कनेक्शन से सम्बन्धित खर्चा स्वयं वहन करना होगा तथा उनके उपयोग के बिलों का भुगतान भी स्वयं क्रेता ही अदा करेंगे तथा बिजली कनेक्शन के चार्जिज का भुगतान करके ही बिजली कनेक्शन प्राप्त करेंगे वर्तमान समय में कॉलोनी का मेन्टीनेन्स विक्रेता कम्पनी कर रही है इसलिये उक्त कॉलोनी से सम्बन्धिक कॉमन सर्विसेज जैसे स्ट्रीट लाईट, साफ-सफाई व्यवस्था, पार्क, सड़को व ड्रेनेज व सीवर आदि के रख रखाव तथा सुरक्षा व चौकीदार आदि पर जो भी व्यय भविष्य में होगा क्रेता विक्रेता कम्पनी को अपने भागानुसार प्रतिमाह अदा करने के लिये बाध्य रहेंगे यदि भविष्य में कालोनी का मेन्टीनेन्स करने के लिये विक्रेता कम्पनी द्वारा किसी एजेन्सी की स्थापना की जाती है तो ऐसी अवस्था में कॉमन सर्विसेज के मेन्टीनेन्स के अपने भाग का खर्चा क्रेता नियमित मासिक रूप से विक्रेता कम्पनी द्वारा नामित व अधिकृत एजेन्सी को अदा करने के पाबन्द रहेगें। यदि क्रेता द्वारा मेन्टीनेन्स का खर्चा नियमित रूप से विक्रेता कम्पनी अथवा उसके द्वारा अधिकृत व नामित एजेंसी को अदा नही किया गया तो ऐसी अवस्था में विक्रेता कम्पनी को अधिकार होगा कि वह क्रेता को कॉमन सर्विसेज, कॉमन एरिया के प्रयोग करने से रोक दें जिसमें क्रेता को कोई आपित्त नही होगी यदि भविष्य में क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्य किसी के पक्ष में हस्तान्तिरत किया जाता है तो ऐसी अवस्था में भविष्य में क्रेता व उक्त भूखण्ड के धारक पर भी मेन्टीनेन्स की सभी शर्तें व नियम लागू रहेगें विक्रेता कम्पनी अथवा उसके द्वारा नामित व अधिकृत एजेन्सी को अधिकार होगा कि वह कॉमन सर्विसेज का ड्यूज मय हर्जा खर्चा व मय सूद अदालती प्रक्रिया द्वारा अथवा किसी भी विधिक रीति से उक्त भूखण्ड के क्रेता व धारक से वसूल कर लें इसमें किसी को कोई आपत्ति नही होगी।

...AND BUILDERS PVT. LTD.

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BP 62994

3. यहकि क्रेता द्वितीय पक्ष विक्रीत भूखण्ड पर रास्ते की तरफ किसी भी सूरत में डेढ फिट से अधिक रैम्प/डी0पी0सी0 नही बनायेंगे तथा लेन्टर की ऊँचाई 10 फिट रखेंगे तथा छज्जा नही निकालेंगे तथा क्रेता द्वितीय पक्ष किसी भी सूरत में अपने भूखण्ड पर कोई भी पशु नही रखेंगे अर्थात कॉलोनी में कोई भी क्रेता पशुपालन नही करेंगे जिससे कॉलोनी में गन्दगी पर रोकथाम लगी रहे तथा क्रेता द्वितीय अपने निर्माण के दरवाजे खिडकी नाली व पतनाले निकासी सब रास्ते की ओर ही रखेंगे अन्य तरफ क्रेता द्वितीय पक्ष को कोई अधिकार प्राप्त ना होगा।

4. यहकि द्वितीय पक्ष क्रेता किसी भी दशा में भूखण्ड को खण्डित-उपविभाजित नही करेगा।

5. यहकि यदि भविष्य में द्वितीय पक्ष क्रेता उक्त भूखण्ड को विक्रय करेगा तो उक्त शर्तो के अधीन ही विक्रय कर सकेगा तथा भावी क्रेता पर भी इस विक्रय की समस्त शर्ते व नियम पूर्णतया लागू रहेंगी भले ही उनका विवरण क्रेता द्वारा निष्पादित रजिस्ट्री में किया गया हो अथवा नही।

6. यहकि क्रेता द्वितीय पक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के सभी नियमो का पालन हमेश करेंगे तथा यदि क्रेता एम0डी0ए0 के किसी नियम का उल्लंघन करते है तो उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष क्रेता की होगी।

7. यहकि भविष्य में कभी भी उक्त कॉलोनी के अतिरिक्त विस्तार के लिये उक्त कॉलोनी की मौजूदा सड़को को भविष्य में किसी भी अन्य सड़क से जोड़ा जाकर अन्य भूमि में प्रस्तावित कॉलोनी में रास्ते का प्रयोग किया जा सकेगा व पार्क पानी की टंकी स्ट्रीट लाईट बिजली के कनैक्शन सम्बन्धित ट्रांसफार्मर व नई भूमि के लिये मानचित्र में किये जाने वाले संशोधन पूर्ण रूप से विक्रेता के अधिपत्य व अधिकार में रहेंगे जिसमें क्रेता कोई व्यवधान उत्पन्न नही करेंगे तथा न ही कानूनी रूप से एतराज कर सकेंगे क्रेता

For PICASANDI BUILDERS PVT. LTD

Director

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BP 629946

को सभी सुविधाओं को केवल निरन्तर प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

8. यहकि उपरोक्त कॉलोनी में जो सड़क व पार्क छोड़े गये है उनको प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को रहेगा यदि क्रेता उन पर कोई अतिक्रमण करते है तो उनको हटा देने का अधिकार विक्रेता प्रथम पक्ष का होगा तथा अतिक्रमण हटाने में हुआ खर्च भी क्रेता द्वितीय पक्ष को वहन करना होगा।

9. यहकि क्रेता द्वितीय पक्ष इस हेतु अपनी सहमति देते है कि उन्हें उक्त आवासीय भूखण्ड के अतिरिक्त अन्य भूमि के खुले स्थान या कॉमन क्षेत्रों के विषय में, आवागमन के अधिकार के अतिरिक्त, अन्य कोई अधिकार स्वामित्व, क्लेम या रिट किसी प्रकार का प्राप्त नही करेगें।

10. यहकि विक्रेता कम्पनी उपरोक्त और/या उनसे सम्बन्धित/नामांकित व्यक्ति कॉमन क्षेत्रों तथा सुविधाओं की देखभाल एवं संरक्षण तब तक करेगें जब तक कि यह कार्य किसी अन्य नियमित निकाय या एजेंसी को कम्पनी द्वारा नामांकित नही कर दिया जाता। मेंटीनेन्स चार्जेज, जैसा कि कम्पनी द्वारा तथा बाद में नामांकित एजेंसी द्वारा निधारित किये जायेगें, का भुगतान क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा तथा इस पर क्रेता द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

11. यहकि क्रेता एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है उपरोक्त बैनामें के पश्चात कॉलोनी में स्थित पार्क, सीवर लाईन व वॉटर सप्लाई की मेंटीनेन्स आदि की जिम्मेदारी क्रेता की होगी इस समय विक्रेता कॉलोनी का मेंटीनेन्स का कार्य स्वयं कर रहे है जिसके लिये विक्रेता द्वारा निर्धारित Intrest free maintenance security (IFMS) के लिये अंकन 100/-रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से क्रेता विक्रेता को अदा करने के लिए बाध्य है जो प्रथम तीन वर्षो के लिये है, आईन्दा प्रत्येक क्रेता प्रत्येक अवस्था में जोभी दर विक्रेता व उसके द्वारा नामित एजेंसी द्वारा निर्धारित होगी उस दर से मेंटीनेन्स खर्च

...DERS P...

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 933077

मासिक नियमित रूप से चुकता करने के लिए बाध्य रहेगें तथा क्रेता मैंटीनेन्स चार्जेज/सर्विस चार्जेज, तथा इन पर करों सहित (यदि लागू हों) का भुगतान विक्रेता को या उसकी नामित एजेंसी को उसी अनुसार, जैसा कि विक्रेता या उसके द्वारा नामित एजेंसी द्वारा मांग की जायेगी, भुगतान करने के पाबन्द रहेगें तथा मैंटीनेन्स चार्ज में समय अनुसार बढ़ोत्तरी की जा सकेगी जिसमें क्रेता द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति न होगी तथा क्रेता यह भुगतान प्रत्येक माह की सात तारीख तक अदा करने के पाबन्द रहेगें तथा मैंटीनेन्स चार्जेज का भुगतान करने में विलम्ब होने पर 18% वार्षिक ब्याज देय होगा, तथा क्रेता कॉमन क्षेत्रों, सुविधाओं तथा सर्विसेज, जो कि उन्हें हस्तान्तरित नही की गई है, पर किसी प्रकार से किसी भी रूप में अतिक्रमण नही करेगें। क्रेता द्वारा किये गये सभी अनाधिकृत अतिक्रमण को उसी के खर्चे पर हटाया जायेगा।

12. यहकि कामन सुविधाओं तथा सर्विसेज के भुगतान के विषय में निरन्तर अदायगी ना किये जाने की स्थिति में विक्रेता या कम्पनी को बिजली या पानी की सप्लाई या अन्य सुविधाऐं रोकने का अधिकार होगा।

13. यहकि इस विक्रय पत्र पर स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्री शुल्क आदि का व्यय क्रेता द्वितीय पक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है।

14. यहकि यदि प्रथम पक्ष उक्त भूखण्ड के विक्रयाधिकारी ना हो या प्रथम पक्ष के स्वामित्व अधिकार की त्रुटिवश उक्त विक्रीत भूखण्ड द्वितीय पक्ष क्रेता के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जावे तो ऐसी दशा में क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश मय लागत मय वाद जैसी भी दशा हो, क्षति व खर्चा बैनामा मय सूद कानूनी न्यायालय द्वारा वाद व्यय सहित जिस प्रकार उचित जाने विक्रेता प्रथम पक्ष व कम्पनी के उत्तराधिकारीगणों से प्राप्त कर लें। जिसमें विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी व विक्रेता प्रथम पक्ष कम्पनी के

PRASANDI BUILDERS PVT. LTD.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

27 JUN 2016

DC 933078

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तराधिकारियों को कोई आपित्त नही होगी। अतः यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्वि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था मे लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो।इति।

माप व सीमाऐं उक्त भूखण्ड नं0 बी-91 विक्रीत है।

पूरबः–	23 फिट।	रास्ता 7.50 मीटर चौड़ी बादहू पार्क।
पश्चिमः–	23 फिट।	भूखण्ड सं0 बी-11
उत्तरः–	50 फिट।	भूखण्ड सं0 बी-90
दक्षिणः–	50 फिट।	भूखण्ड सं0 बी-92

विवरण प्राप्ति विक्रय धन।

1. यहकि अकंन 2,00,000/-रूपये (दो लाख रूपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता चैक नं0 659136 दिनांक 16-06-2016ई0 भारतीय स्टेट बैंक, बनत, शामली का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

2. यहकि अकंन 4,47,000/-रूपये (चार लाख सैंतालीस हजार रूपये) विक्रेता ने क्रेता से बजरिये एक किता चैक नं0 637954 दिनांक 09-07-2016ई0 पंजाब नैशनल बैंक,मोदीपुरम्,मेरठ का इस विक्रय पत्र की रजिस्ट्री से पूर्व वसूल पाये।

मिजान कुल अकंन 6,47,000/-रूपये (छः लाख सैंतालीस हजार रूपये)।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कार्यालय प्रमुख कोषाधिकारी 27 JUN 2016 मेरठ

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 933079

(10)

नीजः-यह विलेख विक्रेता श्री विजयपाल यादव पुत्र श्री राम चन्द्र यादव निवासी 145,बी.सी.लाईन्स मेरठ कैन्ट बहेसियत डायरेक्टर एवं अधिकृत हस्ताक्षरी प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 (ए कम्पनी इनकारपोरेटिड अण्डर कम्पनीज एक्ट 1956) पंजीकृत कार्यालय 145, बी.सी. लाईन्स, मेरठ कैन्ट ने निष्पादित किया है उनके तसदीकी मुख्तार श्री सचिन यादव पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार यादव निवासी क्यू-297, पल्लवपुरम्, फेज़-2, मेरठ निबन्धन हेतू प्रस्तुत कर रहे है जिसका मुख्तारनामा आम दिनांक 21-11-2006ई0 जिसकी रजिस्ट्री बही नं0 06 जिल्द सं0 34 के पृष्ठ सं0 327 से 328 पर क्रमांक 29 पर दफ्तर सब रजिस्ट्रार मेरठ प्रथम हुई, जो आज तक वैध है।

For PRASANDI BUILDERS PVT. LTD.

Dir.

गवाह Sushil

गवाह

PAWAN KUMAR GARG DOCUMENT WRITER MEERUT

तहरीर तारीखः-11-07-2016ई0मसविदा पवन कुमार गर्ग दस्तावेज लेखक मेरठ।

PAWAN KUMAR GARG DOCUMENT WRITER MEERUT